फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस हुई। वकील उभयपक्ष ने T.I. बहस हुई। पत्रावली आदेश दिनांक 20/2/25 को पेश होवे। उपखण्ड जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	20/2/25	पत्राव[illegible] साहब [illegible] 6/3/25
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र 212 RTA पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 19/10/16 को ता-फैसला दावा Absolute स्थाई किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA को खारिज फरमाया जावे। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड व जवाब प्रार्थना पत्र व इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दि० 19/10/2016 का अवलोकन करने पर व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर प्रथमदृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19/10/2016 को ता-फैसला दावा स्थाई (Absolute) किया जाता है। पत्रावली मन्सूख से कार्य होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगाने